The question was put and the motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

That the Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill.

The motion was adopted.

SHRI JANARDHAN POOJARI: Madam, I beg to move:

'That the Bill, as amended, be returned.'

The question was proposed.

SHRI SUSHIL CHAND MOHUNTA: I want to put a question. This question came out in the press by responsible persons in authority that Punjab, Haryana and Himachal Pradesh are being merged. On whose inspiration was it done? We are concerned. What is its authenticity?

THE DEPUTY CHAIRMAN: You have made your point.

The question is:

"That the Bill, as amended, be returned."

The motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up the Calling Attention.

CALLING ATENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE
Non-Payment of Remunerative Price to the Sugarcane Growers

[**The Vice-Chairman (Shri Santosh Kumar Sahu)** in the Chair].

SHRI KALPNATH RAI (Uttar Pradesh): Sir, I beg to call the attention of the Minister of Food and Civil Supplies to the non-payment of remunerative prices to the sugarcane growers for their produce and the action taken by the Government in the matter.

THE MINISTER OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (RAO BIRENDRA SINGH): Sir, I must, first of all, thank the Hon'ble Members, who have afforded me this opportunity to clear certain misconceptions regarding non-payment of remunerative prices to sugarcane growers.

2. The Central Government fixes the statutory minimum prices of sugarcane payable by vacuum pan sugar factories. The sugar industry, I may point out, utilises only a little over one-third of the total cane crop, while the rest of it goes mostly for use in unorganised sectors. While fixing the statutory minimum prices, the cost of production is very much one of the factors taken into consideration. In fact the Government is statutorily required to do so. While fixing the minimum prices, the Government keeps in view the interests of growers of sugarcane, producers of sugar and its consumers, and the crux of the policy lies in striking a balance between these co-existing and mutually sustaining interests.

3. The prices fixed by the Central Government are only the floor prices below which no producer of sugar can pay. They primarily safeguard growers from exploitation in a year of glut in sugarcane production.

4. For the 1984-85 season, the minimum price has been fixed at Rs. 14/- per quintal, linked to 8.5 per cent recovery. This price is higher by 50 paise as compared to last season. On All India average recovery of 9.98% this level of statutory minimum cane price works out to Rs. 16.47 per quintal. This more than covers per quintal out of production of sugarcane which has been assessed by the Agricultural Prices Commission to fall in a range of Rs. 11.63 per quintal in U. P. to Rs. 15.30 per quintal in the State of Maharashtra.

5. The statutory minimum cane price fixed by the Central Government has relevance in the context of

fixation of the levy price for 65% of the production which is sold to the consumers through the Public Distribution System. Though the minimum prices fixed take into account an element of return to the growers, in actual practice the growers get much higher prices than the statutory minimum. In West U. P., for example, the mills are paying Rs. 22/- per quintal. Similarly, in Bihar and Haryana, the price being paid is at the rate of Rs. 21/-.

6. There is also a provision in the Sugarcane (Control) Order, 1966, popularly known as the Bhargava Sharing Formula, according to which, the mills have to give to the growers half of certain excess realizations they make from the sale of free-sale sugar, in the shape of additional cane price. In actual practice, there has generally been hardly anything to share in this way because the mills pay much higher prices than the minimum price and the additional price taken together.

7. The Central Government advises the State Governments from time to time to ensure that the actual cane price fixed are also paid to the growers timely. Effective monitoring is ensured in this regard but the responsibility for payment of remunerative actual cane prices, rests primarily, with the State Governments.

श्री कल्प नाथ राय : आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरे पास उत्तर प्रदेश एवम् बिहार के हजारों किसान यह कहते मेरे पास आए कि जो इस समय सरकार गन्ना ले रही है, तो गन्ना देने वाले किसानों को इस समय उसका पेमेंट नहीं कर रही है। अध्यक्ष महोदय, 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में किसानों के गन्ने का दाम 22 रुपए क्विंटल निर्धारित किया गया। मैं कृषि मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि 1980 के बाद 1985 में..... **(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : कृषि मंत्री तो यहां है नहीं . . .

श्री कल्पनाथ राय : भूतपूर्व कृषि मंत्री और आज के फूड एंड सिविल सप्लाई मंत्री, जिनके अन्तर्गत् यह विभाग आता है, उनसे जानना चाहता हूं कि 1980 में इसकी कास्ट आफ प्रोडक्शन क्या थी। और 1985 में कास्ट आफ प्रोडक्शन क्या है। 1980 और 1985 के बीच कास्ट आफ प्रोडक्शन 50 परसेंट बढ़ा है, खाद का दाम बढ़ा है, दवाइयों के दाम बढ़े हैं, मजदूरों की मजदूरी बढ़ी है, डीजल के दाम बढ़े है, सिचाई के दाम में बढ़ोतरी हुई है, बिजली के दाम बढ़े हैं, जो बैलों के माध्यम से खेती होती है उसका दाम बढ़ा है, ट्रैक्टर-ट्राली आने जाने के हर सामान का दाम बढ़ा है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि 1960 में हमारे देश की चीनी का उत्पादन 30 लाख टन था। '77 में जब कांग्रेस सरकार सत्ता से हटी तो 60 लाख टन चीनी का उत्पादन था, जनता सरकार की किसान विरोधी नीति के कारण 77–78 में उत्पादन घट कर 38 लाख टन आ गया और पूरे देश में चीनी का भारी संकट उपस्थित हो गया। '80 में सत्ता में आते ही देश की नेता इन्दिरा जी के नेतृत्व में—उस समय आप कृषि मंत्री थ, मै आप को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, आपने घोषणा की, प्रदेश सरकारों ने भी—मै आदरणीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 22 रुपये क्विन्टल गन्ने का दाम निर्धारित किया। परिणामस्वरूप '80 में 58 लाख टन चीनी का उत्पादन हो गया यानी 38 लाख टन जनता सरकार के जाने से बढ़कर 58 लाख टन हो गया। फिर 82–83 में किसानों ने अच्छा दाम मिलने पर उत्पादन 84 लाख टन कर दिया जो आजाद हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा प्रोडक्शन था। लेकिन '83–84 में फिर 84 लाख टन से गिरकर साढ़े 58 लाख टन हो गया है। इसका कारण यह है कास्ट आफ प्रोडक्शन 50 प्रतिशत बढ़ गया। उसका कारण यह है कि किसानों ने गन्ना बोना छोड़ कर दूसरी फसलों को बोना शुरू किया है।

मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि आने वाले भविष्य में सरकार ने किसानों को रेमूनरेटिव प्राइसेज नहीं दीं तो चीनी का संकट पैदा होगा । इसलिए मैं सरकार से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं । क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि 80 से 85 के बीच गन्ने को पैदा करने के कास्ट आफ प्रोडक्शन में कितनी बढ़ोतरी हुई है ? क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि किसानों द्वारा पैदा की जाने वाली और कारखानों में बनने वाली वस्तुओं में '80 से '85 तक वृद्धि का प्रतिशत क्या है ? क्या कारखानों में बनने वाली वस्तुओं के दामों में पांच गुना वृद्धि '80 से '85 के बीच नहीं हुई है ? यदि कारखानों में पैदा होने वाली चीजों का दाम पांच गुना बढ़ा है तो फिर कृषि से पैदा होने वाले सामान के सम्बन्ध में आपकी क्या नीति है । आपने कृषि मंत्री की हैसियत से 12 मार्च '80 को डिक्लेयर किया था कि केन्द्रीय सरकार ने अभी केबिनेट में निर्णय लिया है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की कीमत में पैरिटी स्थापित की जायेगी । आपने इस संसद् में यह घोषणा की थी, वह पैरिटी का सिद्धांत कब तक लागू होगा ? क्या सरकार किसान के कास्ट आफ प्रोडक्शन और कारखानों में बनने वाली वस्तुओं के दामों की बढ़ोतरी को मद्देनजर रखते हुए '80 में निर्धारित 22 रुपये क्विन्टल गन्ने के भाव को बढ़ायेगी ताकि किसान राहत की सांस ले सकें ? क्या सरकार फसल बीमा योजना को लागू करेगी जिसकी घोषणा उसने पिछले चुनाव घोषणापत्र में की है क्या सरकार एग्रीकल्चरल प्राइसेज कमीशन को रिकास्टीट्यूट करेगी और उसमें किसानों और उपभोक्ताओं के प्रतिनिधियों को प्रतिनिधित्व देगी ? क्या सरकार कृषि को उद्योग का दर्जा देकर पूरी कृषि नीति का मूल्यांकन करेगी एवं प्लानिंग कमीशन के माध्यम से उस नीति को ईवेलुएट करेगी ? क्या सरकार चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करेगी ताकि किसानों को प्राइवेट पूंजीपतियों की लूट से बचाया जा सके ? क्या सरकार देश के नाम घोषणा करेगी कि भविष्य में नयी चीनी मिलों के लाइसेंस केवल कोआपरेटिव सेक्टर में और स्टेट सेक्टर में ही दिये जायेंगे और किसी भी लाइसेंस को प्राइवेट सेक्टर में किसी पूंजीपति को नहीं दिया जाएगा ? क्या सरकार यह आदेश देगी कि मिल को गन्ना मिलने के एक महीने के अन्दर गन्ने के दाम का भुगतान किसानों को कर दिया जाएगा ? क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि किसानों को लाभप्रद मूल्य न मिलने के कारण किसान गन्ना बोना कम कर रहे है । जिसका परिणाम यह है कि 1983–84 में चीनी का उत्पादन 84 लाख टन से घट कर साढ़े 58 लाख टन हो गया है ? क्या सरकार यह बतायेगी कि जब गन्ने का दाम 22 रुपये क्विंटल के हिसाब से निर्धारित है तो फिर चीनी क्यों उपभोक्ता को साढ़े चार रुपये किलो यानी 450 रुपये क्विंटल के हिसाब से मिल रही है ? जब कि 22 रुपये क्विंटल गन्ने का दाम है तो लेवी चीनी 4.45 के हिसाब से क्यों बिक रही है ? इतनी बड़ी दामों की लूट क्यों हो रही है? क्या सरकार किसानों के हित में नये लाइसेंस केवल कोआपरेटिव और सरकारी सेक्टर को ही जारी करने की घोषणा करेगी ? क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मिलों द्वारा किसानों को तत्काल भुगतान न होने के कारण किसान अपना गन्ना मिलों को नहीं दे रहे हैं और परिणाम यह हो रहा है कि बहुत सी सरकारी और गैर-सरकारी मिलें उत्तर प्रदेश में बंद कर दी गयी हैं ? मैं इन सवालों को आपके सामने रखते हुए देश के करोड़ों किसानों की तरफ से आप को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप जब 1980 में कृषि मंत्री बने तो आप के नेतृत्व में किसानों को गेहूं का दाम और गन्ने का उचित दाम दिया गया । 1980 और 1985 में बीच कास्ट आफ प्रोडक्शन काफी बढ़ा है । 1980 और 1985 के बीच में कारखानों में बनने वाली वस्तुओं के दामों में कितनी वृद्धि कर दी गयी है और जब केन्द्रीय कैबिनेट में आप कोई फैसला लेते हैं तो ऐग्रीकल्चरल प्रोड्यूस और कारखानों के प्रोड्यूस में पैरिटी स्थापित की जायेगी इस तरह की बात सोचते है । तो मैं जानना चाहता हूं कि आप की उस पैरिटी का आखिर सिद्धांत क्या है ? यदि कारखाने में

[श्री कल्पनाथ राय]

उत्पादित वस्तुओं का दाम 5 गुना बढ़ा है तो 22 रुपए की जगह किसानों को उनके गन्ने का कुछ अधिक दाम तो दिया ही जाना चाहिये ।

मैं अन्त में एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा । आपके हिन्दुस्तान की अर्थ व्यवस्था का निर्माण हिन्दुस्तान के सात लाख गांवों में काम करने वाले करोड़ों किसानों पर मुनहसिर होता है । आप यूरोप की नकल तो करके यूरोप की तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन कर के देश का आधुनिकीकरण कर के हिंदुस्तान का विकास नही कर सकते । हिंदुस्तान बुनियादी रूप से हिंदुस्तान के सात लाख गांवों में रहता है । आप के द्वारा किसानों के हित में उठाये गये जो कदम हैं उनके लिये करोड़ों किसानों की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देता हूं । लेकिन मैं उनकी आज की समस्याओं की तरफ भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । अपने सदन के नेता श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में उन्होंने पहली बार वहां के पूंजीपतियों के सामने अपना सिर नही झुकाया और किसानों के लिये 22 रुपए क्विंटल के दाम निर्धारित कर दिये जिस की वजह से 84 लाख टन का चीनी का उत्पादन देश में सम्भव हो सका । हम जानते हैं कि वे देश के किसानों के हित की बात सोचने वाले हैं । मैं अन्त में निवेदन करूंगा कि जब आप कैबिनेट में बैठें तो फाइनेंस मिनिस्टर आप की बगल में बैठे हैं । आज तक जितने फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं वे पूंजीपतियों से प्रभावित होते रहे है और जब कोई गांव का मिनिस्टर किसानों की समस्याओं को वहां पेश करता है तो शहर में होने वाले फाइनेंस मिनिस्टर इस तरह-तरह की बाधाएं सामने उपस्थित करते रहते हैं । आज खुशी की बात है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह जी यहां फाइनेंस मिनिस्टर हैं और आप कृषि मंत्री हैं । आज तक कैबिनेट में दाम बढ़ाने के मामले में फाइनेन्स मिनिस्टर अड़ंगा डालते रहे है, लेकिन आप भी किसानो की समस्याओं से परिचित हैं और विश्वनाथ प्रताप सिंह जी भी उत्तर प्रदेश के किसानों की समस्याओं से भली भांति अवगत हैं । दोनों को मिलकर उनकी समस्याओं को हल करने की ओर ध्यान देना चाहिए या फिर जो सामान उन को कारखानों से मिल रहा है उसके दाम को घटाया जाये । आप भले ही गन्ने का दाम 22 रुपए से ज्यादा मत करिये लेकिन जब किसान को अपनी बेटी की शादी के लिये सामान खरीदना पड़ता है तो उस सामान का दाम भी आप न बढ़ने दीजिये । जो कास्ट आफ प्रोडक्शन है उसको न बढ़ने दीजिये । जो उसके इंप्लीमेंट्स हैं, डिजिल हैं, बिजली है, सिंचाई का जो पैसा है, उस को आप बढ़ने न दीजिये ताकि देश के किसान कम से कम यह तो समझें कि इस देश में किसानों का राज है और उस का बेटा जो देश की सीमाओं पर लड़ कर देश की सार्वभौमिकता की रक्षा कर रहा है, उसको सब तरह की सुरक्षा मिलेगी । जब देश की एकता का सवाल आया तो हिन्दुस्तान का शीतलहरी में मरने वाला किसान भारत माता की एकता एव अखंडता के लिए एक होकर आगे आया । उसने दुनिया को दिखा दिया कि हिन्दुस्तान एक है । हम भूखे हो सकते हैं, पर हम एकता में विश्वास करते है । हम परेशान हैं, फिर भी भारत माता की अखंडता के लिए मर–मिटेंगे, हम देश की जनता के लिए भोजन भी देंगे और जरूरत पड़ने पर सीमा पर खून बहाकर सीमा की रक्षा भी करेंगे । इसलिए देश की अखंडता एवं एकता के लिए देश के करोड़ों किसानों ने आपकी पार्टी को इतना बड़ा मेन्डेट दिया है तो आपकी पार्टी का जो चुनाव घोषणा पत्र है, राजीव गांधी जी का जो चुनाव घोषणा पत्र है, इसमें देश की करोड़ों जनता के नाम एक हलफनामा दिया है और किसी पार्टी का जनता की अदालत में दिया गया ऐफिडैविट या हलफनामा उसका चुनाव घोषणा पत्र होता है, जिसमें आपने कहा है कि किसानों को उनकी उपज का अच्छा मल्य दिलाने की पक्की व्यवस्था यह सरकार करेगी । तो आप 1984 के उस घोषणापत्र के मुताबिक बचनबद्ध हैं, भारत की जनता की भलाई और उनको उचित मूल्य दिलाने के लिए वचनबद्ध है । इसलिए हमें विश्वास है कि आप किसानों की समस्यायें अपनी कैबिनेट में रखेंगे और आदरणीय वित्त मंत्री जी,

कृषि मंत्री जी और सिविल सप्लाई मंत्री आपकी बातों पर ध्यान रखें और रिम्यूनरेटिव प्राइस किसानों को दिलायें ताकि हिन्दुस्तान इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के सपनों का हिन्दुस्तान शक्तिशाली, मजबूत और समाजवादी राष्ट्र बन सके ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, चीनी उद्योग हिन्दुस्तान का नंबर दो का बड़ा उद्योग है । (**व्यवधान**)

मान्यवर, करोड़ों किसानों की आर्थिक अवस्था गन्ने और चीनी पर निर्भर करती है । अभी हमारे भाई जो बोल रहे थे, कल्पनाथ जी, उन्होंने कहा कि 22 रुपये क्विंटल गन्ने की कीमत दिलाई । मैं उन्हें करेक्ट कर दूं कि 23 रुपये क्विंटल दिलाई । (**व्यवधान**)

श्री कल्पनाथ राय : पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुकाबले पूर्वी प्रदेश के किसानों को एक रुपया कम दिया जाता है । हमारे यहां 22 रुपये दिया गया ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : यह मेरा टाइम लिया गया है, श्रीमन् । 23 रुपये क्विंटल उत्तर प्रदेश में श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जब मुख्य मंत्री थे उस समय दिया गया गन्ने का दाम । उस वक्त से आज तक जितना महंगाई भत्ता बढ़ा है, जितनी बार महंगाई भत्ता सरकार ने अपने कर्मचारियों को दिया है, 8-8 दफे जैसा कल्पनाथ राय जी ने कहा, कृषि उत्पादन के जितने भी साधन हैं, इनपुट्स हैं, चाहे बिजली है, चाहे सिंचाई है, चाहे मालगुजारी है, चाहे मजदूरी है, चाहे मशीनरी है, चाहे किसी भी प्रकार की कोई और चीज है, चाहे खाद है, इन्सेंटिसाइड्स है, पैस्टिसाइड्स हैं, उन सब के मूल्यों में वृद्धि हुई है, लेकिन किसान की कीमत 8 आने क्विंटल बढ़ाई गई । मैं माननीय खाद्य मंत्री जी को बता देना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में जितनी मिलों में गन्ना सप्लाई होता है उनमें 60 फीसदी से अधिक गन्ने आउट सेंटर्स पर और 40 फीसदी गेट का है । उत्तर प्रदेश की मुझे जानकारी है । गत वर्ष से एक रुपया आउट सटर पर ट्रांसपोर्ट चार्जेज के नाम से वसूल किया जाता है । अब की बार 8 आने क्विंटल गन्ने की कीमत बढ़ाई तो डेढ़ रुपया क्विंटल यातायात चार्जेज कर दी गई । इसका अर्थ यह हुआ कि 8 आने क्विंटल बढा और 60 फीसदी गन्ने पर 8 आने ट्रांसपोर्ट चार्जेज बढ़ा दिए गए । जो कीमत किसानों को जो कि 60 फी सदी गन्ना सप्लाई करता है आज से चार सदी पहले मिल रही थी ; वही कीमत आज भी है सन् 1980 में 23 रुपये क्विंटल और आज 22 रुपये क्विंटल । मान्यवर, आप आज्ञा मुझे दें, हमारे नेता सदन और वित्त मंत्री जी उपस्थित हैं, पिछले साल से निरन्तर चीनी के उत्पादन में कमी आई है । सन् 1981-82 ईस्वी. में, यह भी हमारे कल्पनाथ राय जी ने सही नहीं कहा, 84 लाख टन से अधिक चीनी पैदा हुई थी 82-83 में 82 लाख टन चीनी पैदा हुई थी और 83-84 में 59 लाख टन चीनी पैदा हुई । हर साल चीनी का उत्पादन गिरता आया क्यों ? हमारी पालिसी ईयर टु ईयर बनती है । लांग रेंज पालिसी आपकी बननी चाहिये । लेकिन चीनी का उत्पादन कभी बढ़ जाता है तो गन्ने का क्षेत्रफल बढ गया, कभी किसान मर जाता है तो कभी कंज्यूमर मरता है । होना यह चाहिये था कि हमारी चीनी की पालिसी लांग रेंज बने दूरगामी पालिसी होनी चाहिये जिससे न कंज्यूमर मरे और न उत्पादक मरे और न ही देश का कोई व्यक्ति मरे । जैसा मंत्री जी ने कहा कि जितना गन्ना देश में पैदा होता है उसका एक तिहाई शुगर फैक्टरी को सप्लाई होता है । दो तिहाई क्रैशर और गुड़ खंडसारी में या बोने में जाता है । मान्यवर, हमारे जैसे आदमी भी अक्सर चर्चा करते हैं शुगर मिलों को सप्लाई होने वाले गन्ने के मूल्य के संबंध में । लेकिन यह सरकार भूल जाती है कि दो-तिहाई गन्ना उत्पादक जो तबाह और बर्बाद हो जाता है, अनेकों प्रकार के प्रतिबन्ध लगाने के पश्चात् जो गन्ना क्रैशर में देते हैं और

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

कोल्हू में गन्ना पेलते हैं । इसलिये मेरा पहला यह सुझाव है कि आप लोग रेज पालिसी चीनी की बनाइये । जिन आदमियों को चीनी के संबंध में जानकारी है उसकी भी सलाह ले और हमारे लिये यह शर्म की बात है कि चीनी का कभी उत्पादन बढ़ गया तो हम उसको फ्री कर देते हैं और कभी गिर गया तो हम बाहर से मंगाते हैं । संसार में सन् 1981-82 में सबसे अधिक चीनी आपके देश ने पैदा की थी । प्रथम श्रेणी में आपका देश आया था लेकिन फिर हम तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पर पहुंच गये । यह हमारी फाल्टी पालिसी है । इसको हम को बदलना होगा । पालिसी को नया रूप देना होगा ।

[उपसभापति महोदया पीठासीन हुई]

जहां तक चीनी के उत्पादन की बात है चीनी की रिकवरी की बात है, चीनी की रिकवरी भी महाराष्ट्र में गिर रही है । दूसरे प्रदेशों में चीनी की रिकवरी में भी कोई वृद्धि नही हुई । यह भी सरकार के लिये चुनौती है । जो रिसर्च करते है उनके लिये चुनौती है । संसार में कोई देश ऐसा नहीं जहां चीनी की रिकवरी हिन्दुस्तान के मुकाबले ज्यादा न हो । हमारे यहां चीनी में जो गिरावट आई है वह क्यों आई है इसका कारण ढूढना पडेगा और इस प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ेगी कि चीनी की रिकवरी बढ़े ।

एक और प्रश्न पैदा होता है कि किसान ऐसा गन्ना चाहता है जिसकी ईल्ड-पर-एकड़ अधिक हो, मिल-मालिक ऐसा गन्ना चाहता है जिसकी रिकवरी अधिक हो । ऐसा गन्ना हम को तलाश करना होगा जिसमें रिकवरी भी अधिक हो और ईल्ड-पर-एकड़ भी अधिक हो । कोयम्बटूर में आपका एक रिसर्च स्टेशन है छोटे-छोटे तो कई उत्तर प्रदेश में है । बिहार में भी है लेकिन केवल कोयम्बटूर रिसर्च स्टेशन का भी विकास नहीं हो पाया । बहुत दिनों से लगातार मैं देख रहा हूं कि जो गन्ना हमारी तरफ चलता है । अगर उसे रिप्लेस करना पड़े तो दूसरा गन्ना नहीं मिलता । इस वजह से हमें रिसर्च की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा जहां अनेक बार आप भी कह चुके हैं, हम भी कह चुके हैं, मांग कर चुके हैं कि किसान जो इस देश की इकोनोमी की रीढ़ की हड्डी हैं, पैदा करते हैं बहुत मेहनत से और आप भी गौरव अनुभव करते हैं उन पर कि उसने देश को आत्म निर्भर बनाया लेकिन उसकी माली हालत सुधर नहीं सकी । उसके कारण हैं क्योंकि जो चीज किसान पैदा करता है उसकी कीमत बांधकर रखी जाती है । जिन चीजों की किसान को जरूरत होती है उन चीजों की कीमत पर कोई नियंत्रण नहीं होता है । इसीलिए बार-बार इस हाउस में और बाहर यह मांग की जाती है कि कृषि उत्पादों और औद्योगिक उत्पादों की कीमतों में समानता लाई जाये । यह चेलेन्ज सरकार के सामने और आपके सामने है । दोनों के मूल्यों में समानता लाई जाय, पैरिटी आफ प्राइसेज लाया जाये । मैं यह दर्खास्त करता हूं कि शुरू में जब गन्ने की नीति चलाई जाती थी तो उस वक्त यू० पी० और बिहार में शुगरकैन बोर्डस थे, इंडियन सैंट्रल शुगरकैन कौंसिल थी, सैन्ट्रल डव्लपमैंट कौसिल थी । प्रारम्भ मे जब गन्ने की नीति बननी शुरू हुई तो उस समय सेंटर और आउट सेंटर दोनों जगह गन्ने का भाव एक होता था । आज भी जब गन्ना पैदा किया जाता है तो दोनों जगह कास्ट आफ प्रोडक्शन समान आती है । दोनों का कास्ट आफ प्रोडक्शन एक है । इसलिए जरूरत इस बात की है कि आउट सेंटर और सेन्टर के गन्ने का भाव भी एक रहना चाहिए ।

जहां तक प्राइस पेमेंट का सवाल है यहां पर किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया जाता है । कितने ही करोड़ रुपया गन्ने की कीमत का अभी तक बकाया है । नियम तो यह बनाया गया है कि 14 दिन के अन्दर किसान को पेमेंट हो जानी चाहिए, लेकिन यह पेमेंट 14 दिन के अन्दर नहीं होती है, महीने में नहीं होती है बल्कि कई कई महीनों तक पेमेंट नहीं की जाती है और अरबों रुपया आज भी किसानों का मिल-मालिकों के पास

बकाया है। किसान का यह दुर्भाग्य है कि उसको उस पर सूद भी नहीं मिलता है, सरकार अपने रुपये पर कभी सूद नहीं छोड़ती है, यही नहीं अगर पैसा समय पर जमा नहीं किया जाता है तो किसान पर सरकार की तरफ से पैनल्टी भी लगाई जाती है। कृपा करके आप किसानों का जो वाजिब रुपया है उसको दिलवाएं।

जब ए० पी० सी० की बात आती है और जब मंत्री महोदय अपना स्टेटमेंट पढ़ रहे थे तो उसको सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। कृषि मूल्य आयोग ने उत्तर प्रदेश के लिए गन्ने का उत्पादन व्यय 11 रु० 63 पैसे रखा। हमें दुख इस बात का है कि कृषि मूल्य आयोग में मैम्बर्स कौन हैं? सारे एक्सपर्ट हैं। मैंने कृषि मूल्य आयोग के चेयरमैन महोदय से पूछा कि आपके आयोग में क्या कोई किसानों का भी प्रतिनिधि है? वे कहने लगे कि तब तो उपभोक्ता भी कहेंगे कि उनका भी कोई प्रतिनिधि उसमें होना चाहिए। मैंने कहा कि उपभोक्ता तो स्वयं आप हैं। आपकी क्या जरूरत है कि इसमें उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि भी रखें। मैंने उनसे कहा कि आपको इस आयोग में किसानों के प्रतिनिधि भी रखने चाहिएं। किसानों का केस रिप्रेजेन्ट करने के लिए कृषि मूल्य आयोग में कोई प्रतिनिधि नहीं है। आप जानते है कि जब तक कृषि मूल्य आयोग में कोई किसानों का प्रतिनिधि नहीं होगा तब तक किसानों के साथ न्याय नहीं हो सकता है।

अन्त मे एक बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आमतौर पर यह देखा गया है कि किसानों का गन्ना मूल्य बहुत देर तक पड़ा रहता है। किसान को गन्ने की सप्लाई पर एक पर्ची मिलती है। मिल मालिक यह पर्ची देखकर पेमेंट करता है, लेकिन देखा यह गया है कि मिल-मालिक किसानों को पेमेंट नहीं करते हैं। अगर मिल-मालिक पेमेंट नहीं करते हैं तो किसानों को सरकार ड्यूज न देने के लिए हवालात में डाल देती है। मेरा यह निवेदन है और यह सिफारिश भी है कि जिन पर्चियों को देखकर मिल-मालिक पेमेन्ट देते हैं उन पर्चियों को कलेक्टर को दे दिया जाये और कलेक्टर साहब उन पर्चियों पर स्वतः मिल-मालिकों से ड्यूज वसूल करें। उन पर्चियों के आधार पर डायरेक्टली मिल-मालिकों से पैसा वसूल किया जाय। और अपने मुतालिबे की अदायगी करें। अगर इस सुझाव पर आप विचार करेंगे और यह सोचेंगे कि प्रति वर्ष जो भाव आपके उत्पादन के गिरते चले जा रहे हैं और इसका क्या कारण है तो कुछ हो सकता है। केवल लीपापोती करने से काम हल होने वाला नहीं है। इसके लिए लम्बी, दीर्घ कालीन आप योजना बनाइये जिससे उत्पादक को लाभ हो, उपभोक्ता को भी लाभ हो और सरकार भी कामयाबी के साथ चले। इस मामले में आपको अपनी असफलता स्वीकार करना चाहिए। पिछले (समय की घंटी) चार सालों से आप का उत्पादन गिरता जा रहा है। यह आपकी असफलता की निशानी है, असफलता का द्योतक है। इसलिये किस प्रकार से आप इसको ठीक करेंगे, इस पर आप अपने विचार प्रकट करें।

SHRI SUKOMAL SEN (West Bengal): Madam, although the subject is very important. But this late evening I am not inclined to speak much.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Thank you.

SHRI SUKOMAL SEN: Anyway, today's Calling Attention has two major aspects—one is fixing a remunerative price or the minimum price for the sugarcane, and the other is prompt payment of the price to the growers. I will simply seek some clarifications on the second aspect which, I feel, is very important.

Madam, whatever may be the price fixed by the Government for the cane, for the growers, from time to time, it is a perennial problem, and the payment remains in arrears for a long time, and the growers do not get the payment despite their best efforts. To offset this situation and to ease the situation, the Government also from time to time resorts to two methods—one of fixing of a levy price of sugar, increasing it, and the second is giving more and more bank credit to the sugar mills, so that they can tide over the

[Shri Sukomal Sen]

crisis. I find that in February, 1984 once again the Government raised the levy price of sugar. It was Rs. 3.75 per kg., and the Government raised to Rs. 4 per kg. The purpose was to provide some relief to the sugar-factory owners so that they can clear the huge arrears due to the canegrowers. And secondly, I find that the bank credit was enhanced. In 1982-83 it was announced; in 1983-84, the next year, it was increased to 110 per cent of that which was available to the sugar industry in 1982-83. And the huge increase in the bank credit to the sugar industry was done so that the sugarcane-factory owners make prompt payment of the arrear dues to the growers. But I find that despite the increase in the levy price of sugar and the increase in the bank credit to the sugar factories, in January, 1984 the total arrears were Rs. 376.19 crores. They were due to the sugarcane growers. It was in 1984 January. But to day the figure remains as Rs. 156.25 crores. It means, despite the increase in the levy price of sugar, despite the increase in the bank credit, more than Rs. 150 crores are still due to the cane-growers. I would simply seek a clarification from the Minister, why, despite taking recourse to the increase in the levy price of sugar and the increase in the bank credit, the sugarcane factory owners did not pay the arrears. What is the reason. What step has the Government taken to persuade or to compel the sugarcane-factory owners to give prompt payment of the sugarcane arrears?

SHRI P. BABUL REDDY (Andhra Pradesh): Madam Deputy Chairman, it is a matter of great regret that for persons who give food to the country, we are thinking of giving remunerative prices and grudging to grant them.

(*Interruptions*)

I hope it is not for me, that clapping. I am glad. You should understand what I mean. Hon'ble Minister has given certain figures. The Hon'ble Finance Minister is also present here, I am very happy. I wish to draw the attention of the Hon'ble Minister of Food and Civil Supplies to the All India average recovery is 9.98 per cent and the price paid is Rs. 16.47 per quintal which works with that. Even if we take the prices fixed by the Agricultural Prices Commission, these people seem to live in ivory tower. The figures which they have given, I think, many of them have not seen a sugarcane crop. We will take that. Then I will demonstrate how absurd these figures are to show that the farmer is not getting a remunerative price Rs. 15.30 per quintal is the cost of production. Whatever be the concept of that cost of production, I will take it up a little later. We will take up the cost of production at Rs. 15.30 and so the average is Rs. 16.47. All factories in a State will not give the some yeilding. In Nizamabad District of Andhra Pradesh...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr Reddy, it is a Calling Attention Motion and not a discussion. So you better put the question so that the Minister will be able to reply.

SHRI P. BABUL REDDY: Madam, I will not doubt about that. I will put the question. I hope the same yardstick was applied to the previous speakers. They spoke for half-an-hour and whereas I have taken only two minutes so far.

THE DEPUTY CHAIRMAN: But you can put up a question.

SHRI P. BABUL REDDY: I will not take more than five minutes. In Nizamabad District alone there are three factories. The old factories give less percentage of yield. The new factories give more percentage of yeilding. The Raiyats who gets less percentage of yield in the same District, what does he gets ultimately? Madam, by this average how can we say that all of them are getting remunerative prices. The cost of production may be Rs. 15.30. We will take at that point. But the highest price paid per quintal is Rs. 16.47. But the same people are bound to lose. They don't get remunerative prices. This reminds me of an old saying by a foolish Mathematician. He gets into a stream with a view to cross by average debts. His height was 6 feet and average depth was 5 ft. 5 inches. So he thought he would cross. But the result is down. These figures are also something like

that. I don't claim to know about other parts of the country. In Andhra Pradesh there are certain areas where they grow sugarcane and crush them. The Raiyats themselves crush and produce jaggery. The jaggery prices are fluctuating very much. In some years they don't even get the cost of production price. So I suggest that the Government should go to their aid and see that they are paid remunerative prices. There are many States which are consuming jaggery. The Government must acquire this jaggery and see that proper prices are paid to them. Otherwise they are exposed to the risk of varying prices from year to year. The fate of those who sell their sugarcane to the factories is much worse. Year after year it is coming down. It is a matter of regret that in Nandyal District of Andhra Pradesh the sugarcane growers have suspended the cutting of crop and they have set it to fire. Because they thought in that year they will not get even the cutting of the crop cost.

RAO BIRENDRA SINGH: That was in 1977 and 1978.

SHRI P. BABUL REDDY: It was in 1976 during the emergency period. Now what is the position? I remember very distinctly that Raiyats used to fight for permits to supply cane to the factories so that they will get advantage. But today the position is quite different. I think the Hon'ble Minister will bear me out, in many areas there are what is called procurement order for sugarcane also. The ryots are compelled to deliver to the factories 85 per cent of the sugarcane that they produce. If they are getting remunerative prices, how is it that procurement orders, for procuring 85 per cent of the sugarcane, are promulgated in State after State? In Andhra Pradesh there is an order today by which in areas where there are factories, the ryots are compelled to deliver 85 per cent of the sugarcane that they have grown. They are not permitted even to convert it into jaggery. That is the state of affairs. If they are really getting remunerative prices, why are they driven to such a situation? The result is that in Andhra Pradesh, the sugarcane production has gone down and the ryots are taking to other crops, mostly cotton. If this policy is pursued and if the farmers are not given remunerative prices, a day will come when the factories will have to be closed down for want of sugarcane. Seventy per cent of the people in our country depend on agriculture and there are 4,000 legislators in this country, 80 per cent of them coming from an agricultural background. It is a sorry state of affairs that the farmers are left high and dry. So I say that these figures themselves demonstrate that some of them at least must suffer. A word about the Agricultural Prices Commission. You say "cost of production". What are the ingredients that they take into account? Have they taken into account the cost of the land? Have they taken into account the labour of the people who toil day and night, in sun and shower? Have they taken into account the labour of the members of the family of the small farmer? So far as sugarcane is concerned, I can say without fear of contradiction that 95 per cent of the sugarcane is produced by small farmers. The entire family goes and works on the field. Have they taken all these into account?

RAO BIRENDRA SINGH: Yes.

SHRI P. BABUL REDDY: Then what is the cost of the land? It is about Rs. 10,000 to Rs. 20,000 per acre. Have they taken that into account? So, much depends upon the cost of the ingredients that have gone into the working out of the cost of production. I, therefore, request the hon. Minister who is known for his sympathy for the farmers to look into these things carefully and do justice to these people. Otherwise a day will come when this giant will get up and swallow the whole thing.

SHRI V. RAMANATHAN (Tamil Nadu) Madam, as already mentioned by many hon Members, the agriculturist is in perpetual indebtedness. While the prices of all other non-agricultural products are going up, the sugarcane price alone has not increased to the extent the cost of the inputs has gone up. The socio-economic environment also must be taken into consideration. Now in the sugar industry,

[Shri V. Ramanathan]

sugar is not the main product. Now it has almost become a byproduct in the sugar industry. The other product that is, the molasses and the bagasse, are fetching a lot of revenue. Molasses is giving a lot of revenue to the Government and so many byproducts are produced from the molasses. Bagasse is also used in the paper industry. Three tonnes of sugarcane crushed gives one tonne of bagasse and that gives about Rs. 250 or more. When the price of sugarcane is Rs. 140 per tonne, bagasse gives Rs. 250 per tonne. It is used as the main raw material in the paper industry. Therefore, considering all these factors, all these byproducts, the cane price can be increased further. If the molasses and bagasse are taken into consideration, the sugarcane price can be much more. The rate of the levy sugar also can be raised to some extent. Madam, in the sugar industry, the mills are selling the free sugar to private persons and showing it as if they are selling it in the free market. Actually the free sugar is sold to their own men. Then it is sold to other people at a higher price. If that free sugar is sold in the open market, it can fetch a lot of money and that money can go to the agriculturists. Then in Tamil Nadu, the transport cost is not paid to the cane growers by the factories. They are not taking into account the transport cost and the conversion cost while determining the cost of production of sugar the transport cost is not considered. Therefore, the industry is not prepared to pay the transport cost to the cane growers. My submission is that the transport cost should be paid to the cane growers. Considering this, I want to know whether the Government will take note of this and ensure payment of transport cost to the cane growers. Will the Government also see to it that free sugar is sold in the open market in order to fetch a bigger amount?

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Jaswant Singh.

SHRI JASWANT SINGH (Rajasthan): Madam, Deputy Chairman.... (*Interruption*).

AN HON'BLE MEMBER: You may continue.

श्री जशवंत सिंह : आपकी बातचीत हो रही थी ।

श्री उपसभापति : नहीं, आप तो बोलिए, वह सुना जा रहा है । जो आप..

श्री जसवंत सिंह : मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप बातचीत कर रहे थे ।

SHRI JASWANT SINGH: I want to seek only three clarifications. A number of speakers have already spoken about the remunerative price and outstandings. I underline their concern.

The Hon'ble Minister's statement itself recognises that a much larger part of the cane industry is in fact not covered by sugar at all. I would request the Hon'ble Minister to elucidate the Government's thinking as to what it is doing to help, assist and develop that part of the cane sector.

Finally, the essential problem of sugar industry is such that you cannot solve it unless you get that industry out of its present state. You often talk of the future. Would you please let us know what you are going to do to modernise the sugar industry?

MOTION REGARDING SIX-NATION SUMMIT ON NUCLEAR DISARMAMENT

THE DEPUTY CHAIRMAN: We have now to adopt a Resolution on Delhi Declaration nuclear disarmament. As you are aware, the Six-Nation Summit on Nuclear Disarmament concluded successfully on January 28, 1985, at New Delhi. At the end of the Summit, the Heads of States of these Governments, along with our Prime Minister Shri Rajiv Gandhi, issued a Declaration and made an appeal for a halt to the nuclear arms race. It will be befitting if this House reaffirms this call and appreciates the efforts made by the Heads of six nations and our Prime Minister. With your consent, therefore, I would like to place the following Resolution before the House:

"This House notes with satisfaction and pride that the Six Nation Summit on